

**राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्य प्रदेश**  
**विन्ध्याचल भवन भोपाल**  
**सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी**

1	प्रशासनिक प्रतिवेदन में सामान्यतया संरचनात्मक ढांचा दिया जाता है। कार्यालयीन स्तर पर यदि यह उपलब्ध न हो तो पृथक से बनाकर प्रपत्र में डाला जाये। कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य / दायित्व कार्यालय में उपलब्ध होंगे। यदि उपलब्ध न हो तो शाखावार दायित्व/कार्य सुनिश्चित कर इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी किये जाये।	प्रशासनिक प्रतिवेदन में संरचनात्मक ढांचा की जानकारी दी गई है। स्वीकृत पद/ कार्यविभाजन आदेश भी उपलब्ध है।
2	कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम कर्तव्य तथा परिलब्धियों संबंधी जानकारी दी जावे, यह जानकारी कोषालय/कार्यालय दोनों जगह उपलब्ध होगी।	उपलब्ध है।
3	कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय नस्ती खोले जाने से निर्णय लेने तक को रेखा चित्र की सहायता से दिखाई जाये।	उपलब्ध कराई जा रही है।
4	कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड तय किये जाने संबंधी जानकारी दी जाये। यदि इस तरह के मापदण्ड तय नहीं हो जो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाये। ताकि सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिये प्रदेश स्तर पर एक समान गुणवत्ता वाले मापदण्ड लागू हो सके।	कार्यवाही विभाग स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है।
5	कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम रेगुलेशन की सूची तैयार की जाये।	सूची उपलब्ध है।
6	कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जावे।	निरंक
7	ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जनप्रतिनिधि हैं। उनके संबंध में वांछित जानकारी जैसे नाम, आदेश क्रमांक निर्माण संबंधी सर्कुलर तथा दायित्व उप कर्तव्य की जानकारी दी जानी है।	पुलिस मुख्यालय स्तर पर संधारित है।
8	कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली बोर्ड परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता, गठन संबंधी आदेश, चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी, बैठक आहुत करने संबंधी शासन निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जाय।	निरंक
9 एवं 10	कार्यालय में समस्त कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जावेगी। यह जानकारी कार्यालय /कोषालय दोनों जगह उपलब्ध होगी।	जानकारी उपलब्ध है कोषालय के पें-डाटा वेश एम्प्लाई डाटा वेश में जानकारी दी जाती है।

11	कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी दी जावेगी।(यह जानकारी कार्यालय/कोषालय दोनों जगह उपलब्ध होगी)	बजट की जानकारी उपलब्ध है।
12	विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची हितग्राहियों के चयन प्रक्रिया, वित्तीय सहायता देने वाली संस्था, वर्षवार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या दी जानी है तथा इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।(कार्यालय एवं संबंधित विभाग तथा कोषालय में यह जानकारी उपलब्ध होगी)	12 से 14 बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जानकारी संलग्न प्रतिवेदन में प्रस्तुत है।
13	वास्तविक हितग्राहियों की सूची श्रेणी तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये(कार्यालय में उपलब्ध)	
14	कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची तथा उसकी प्रकृति(हार्ड कापी,इलेक्ट्रानिक फार्म)	
15	आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि।	निरंक
16	लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी जानी है।	आदेश जारी किये गये हैं।
17	अन्य कोई प्रशासनिक जानकारी सीधा संबंध आम नागरिक से होते उन जानकारी का भी आलेखन किया जाये।	निरंक

ब्यूरो द्वारा नोडल अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं।(प्रतिलिपि संलग्न है)

## बिन्दु-1

### राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश:

आर्थिक अपराधों अथवा राष्ट्रीय अखण्डता को प्रभावित करने वाले ऐसे अपराध जिनमें प्रमुखतः राज्य शासन के लोक सेवक आरोपी हो अथवा जिनमें राज्य शासन के आर्थिक हित प्रमुखतः प्रभावित हों अथवा जिनमें नागरिकों के व्यापक समूह के हित प्रभावित हों।

### उद्देश्य:-

मध्य प्रदेश शासन ने ब्यूरो का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया:-

- (क) आर्थिक अपराधों, विशिष्ट प्रकार के कपट, संपत्ति छिपाना, करों की चोरी आदि के अपराधों की जानकारी एकत्रित करना तथा जहाँ आवश्यक हो, ऐसे अपराधों का अन्वेषण करना।
- (ख) राष्ट्र की अखण्डता नष्ट करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों तथा समूहों एवं राष्ट्र का विघटन, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा तथा लोक सेवकों में अनिष्ठा की प्रवृत्ति को उकसाने वाले व्यक्तियों तथा समूहों के बारे में सूचनाएँ एकत्रित करना तथा ऐसे अपराधों का अन्वेषण करना।

### संरचना:-

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश संपूर्ण मध्यप्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में अधिकारिता वाला थाना घोषित किया गया है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ब्यूरो को कतिपय विशिष्ट अपराधों के अन्वेषण के लिये अधिकृत किया गया है।

ब्यूरो के क्रिया कलापों के संचालन का उत्तरदायित्व महानिदेशक पर है। महानिदेशक की सहायता के लिये ब्यूरो मुख्यालय के एक महानिरीक्षक एक उप महानिरीक्षक तथा एक सहायक महानिरीक्षक (मुख्यालय) का पद निर्मित है। सूचनाएँ एकत्रित करने, जॉच/अन्वेषण करने के लिये मध्य प्रदेश क्षेत्र को ब्यूरो की 5 इकाईयों में विभक्त किया गया है जिनके मुख्यालय तथा कार्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

- |     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
| (1) | भोपाल इकाई    | भोपाल जोन<br>होंशागाबाद जोन                           | भोपाल, सीहोर, राजगढ़ तथा विदिशा<br>होंशागाबाद, रायसेन, बैतूल तथा हरदा  |
| (2) | इंदौर इकाई    | इंदौर जोन<br>खरगोन जोन                                | इंदौर, धार तथा झाबूआ<br>खरगोन, खण्डवा, बड़वानी तथा बुरहानपुर   |
| (3) | ग्वालियर इकाई | ग्वालियर जोन  | ग्वालियर, शिवपुरी, गुना तथा<br>अशोकनगर   |
| (4) | जबलपुर इकाई   | जबलपुर जोन<br>छिंदवाडा जोन<br>बालाघाट जोन<br>सागर जोन | भिण्ड, मुरैना, दतिया तथा श्योपुर<br>जबलपुर तथा कटनी<br>छिंदवाडा, नरसिंहपुर तथा सिवनी<br>बालाघाट, मण्डला तथा डिंडोरी<br>सागर तथा दमोह |
| (5) | रीवा इकाई     | छतरपुर जोन<br>रीवा जोन<br>शहडोल जोन                   | छतरपुर, पन्ना तथा टीकमगढ़<br>रीवा, सीधी तथा सतना<br>शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर  |

ब्यूरो इकाईयों सहायक महानिरीक्षकों के अधीन संचालित होती है।

विधिक सलाह तथा दण्डाधिकारी न्यायालयों में अभियोजन संचालन के लिये ब्यूरो में विधि अधिकारी, जिला अभियोजन अधिकारी तथा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पद निर्मित है, जो उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक तथा महानिदेशक के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

महानिदेशक—महानिरीक्षक—उप महानिरीक्षक—सहायक महानिरीक्षक(मुख्यालय)  
—सहायक महानिरीक्षक(इकाई)  
— थाना प्रभारी (ब्यूरो)

—विधि अधिकारी

—जिला अभियोजन अधिकारी / सहायक अभियोजन अधिकारी

स्वीकृत बल

पदनाम	मुख्यालय	भोपाल	इंदौर	जबलपुर	ग्वालियर	रीवा	योग
महानिदेशक	1	—	—	—	—	—	1
महानिरीक्षक	—	—	—	—	—	—	0
उमनि	1	—	—	—	—	—	1
समनि	1	—	—	—	—	—	1
पु0अधीक्षक	—	1	1	1	1	1	5
डीपीओ	—	1	—	—	—	—	1
एडीपीओ	—	—	1	1	1	1	4
विधि अधि0	1	—	—	—	—	—	1
लेखा अधि0	1	—	—	—	—	—	1
उपुअ	—	3	2	2	1	1	9
निरीक्षक	1	6	4	4	2	2	19
उप निरी0	0	2	3	3	2	2	12
सउनि	2	—	—	—	—	—	2
कार्या अधी0	1	—	—	—	—	—	1
व.शी.लेखक	2	—	—	1	—	—	3
क.शी. लेखक	1	1	1	—	—	—	3
स.अ.	2	—	—	—	—	—	2
आंकिक	1	—	—	—	—	—	1
उप निरी.अ	2	1	—	—	—	—	3
सउनि.अ	9	1	1	1	1	1	14
प्र0आर0	2	6	4	3	2	2	19
आरक्षक	5	10	6	6	3	4	34
आरक्षक चा.	3	2	1	2	1	1	10
आरक्षक अ.	7	12	7	6	3	3	38
आरक्षक एम	1	—	2	1	1	—	5
अर्दली	1	—	—	1	—	—	2
योग	45	45	33	32	18	18	191

**बिन्दु-2**  
**अधिकारियों के नाम, पदनाम कर्तव्य तथा परिलब्धियाँ**

पदनाम	परिलब्धियाँ	अधिकारियों के नाम	इकाई
महानिदेशक	24050-650-26000	श्री एस0के0राउत	मुख्यालय
महानिरीक्षक		श्री पी0एम0मोहन	मुख्यालय
उप महानिरीक्षक	16000-450-20600	श्री सुशोभन बनर्जी	मुख्यालय
समनि / पु0अधीक्षक	12000-375-16500	श्री अविनाश सिंह	मुख्यालय
		श्री सुधीर लाड	भोपाल इकाई
		श्री वाय0एस0कुशवाह	इंदौर इकाई
		श्री सुनील कुमार पाण्डे	ग्वालियर इकाई
		श्री अशोक गोयल	जबलपुर इकाई
		श्री नवल सिंह रघुवंशी	रीवा इकाई
विधि अधिकारी	15100-400-18300	श्री माजिद खान	मुख्यालय
लेखा अधिकारी	8000-275-13500	श्री श्रीगोपाल दुबे	मुख्यालय
उप अधीक्षक	8000-275-13500	श्री डी0एस0मरकाम	मुख्यालय
		श्री एस0के0शुक्ला	भोपाल इकाई
		श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	भोपाल इकाई
		श्री दिलीप कुमार सोनी	इंदौर इकाई
		श्री अरुण कुमार जैन	
		श्री पी0के0 शुक्ला	जबलपुर इकाई
		श्री अवनीश बंसल	
			ग्वालियर इकाई
		श्री सुशील रंजन सिंह	रीवा इकाई
जिला अभियोजन अधिकारी	6500-200-10500		भोपाल इकाई
सहायक अभियोजन अधिकारी	5500-175-9000	श्री ओ0पी0कॉरिकान	जबलपुर
		श्री ए0के0 स्वर्णकार	इन्दौर इकाई
		श्री राम बाबू चतुर्वेदी	ग्वालियर इकाई

### बिन्दु-3

#### शिकायतें एवं निर्णय प्रक्रिया

ब्यूरो मुख्यालय तथा इकाईयों प्राप्त होने के कई स्रोत हैं:-

राज्य शासन के मंत्रियों/सांसदों/विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रेषित शिकायतें  
राज्य शासन द्वारा प्रेषित शिकायतें  
विभागाध्यक्षों/संभागीय अधिकारियों/जिला अधिकारियों/स्वायत्त संस्थाओं के कार्यकारी प्रमुखों द्वारा प्रेषित शिकायतें  
सामाजिक/आर्थिक संस्थाओं/व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रेषित शिकायतें  
व्यक्तियों द्वारा प्रेषित शिकायतें एवं  
स्वयं ब्यूरो की सूत्र-सूचना

- शिकायत-** सूत्र सूचना-प्रारम्भिक जाँच/अपराध पंजीयन/फाइल  
- विभागीय जाँच-प्रारम्भिक जाँच/अपराध पंजीयन/फाइल  
- प्रारम्भिक जाँच-अपराध पंजीयन/विभागीय जाँच हेतु/फाइल  
- अपराध पंजीयन-चार्ज शीट/फाइल-रिपोर्ट/विभागीय जाँच हेतु/फाइल  
- विभागीय जाँच हेतु  
- फाइल

### बिन्दु-4

कार्यवाही विभाग स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है।

### बिन्दु-5

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश का विधिक अधिकार क्षेत्र (अधिनियम)

- (01) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120(ख), 124, 124(क), 153, 153(ख), 161, 162, 163, 164, 165(ख), 167, 186, 212, 213, 218, 295, 295(क), 296, 297, 298, 330, 331, 332, 333, 353, 406, 407, 408, 409, 411, 419, 420, 429, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 477(क), 489, 489(क), 489(ख), 489(ग), 489(घ), 505 तथा 511
- (02) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947
- (03) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
- (04) आयुध अधिनियम 1959
- (05) भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884
- (06) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
- (07) अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम 1985
- (08) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958
- (09) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976
- (10) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915
- (11) मध्यप्रदेश मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1956
- (12) फॉरवर्ड कॉट्रैक्ट(रेग्युलेशन) अधिनियम 1952

- (13) खद्य पदार्थ में मिलावट से बचाव अधिनियम 1954
- (14) मध्यप्रदेश माप तौल(बाध्यता) अधिनियम 1959
- (15) भारत जंगल अधिनियम 1927
- (16) आयात-निर्यात (संविदा) अधिनियम 1947
- (17) प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलर स्कीम (बैनिंग) अधिनियम 1978
- (18) मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट शिष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982

बिन्दु-6

निरंक

बिन्दु-7

पुलिस मुख्यालय स्तर पर संधारित है।

बिन्दु-8

निरंक



बिन्दु 9 एवं 10

S#	Post	Pay Scale	Sanctioned	Present Status	Vacant	Surplus	Name of Posted Officers	Date of Posting	Unit
1	2	3	4	5	9	10	6	7	8
1	DG	24050-650-26000	1	1			S.K. Rout	13/11/07	HQ
2	IG			1			P.M. Mohan	2/7/2007	HQ
3	DIG	16000-450-20600	1	1			Sushoban Banrji	11/8/2005	HQ
4	AIG	12000-375-16500	1	1			Avinash Singh	18/07/05	HQ
5	SP	12000-375-16500	5	5			Sudhir Lar	24/12/07	Bpl Unit
							YS Kushwaha	22/05/02	Ind Unit
							Sunil Kumar Panday	26/6/07	Gwl Unit
							A.K. Goyal	31/8/2006	Jbp Unit
							N.S. Raghubasi	28/11/05	Rwa Unit
6	LO/ DDPO	15100-400-18300	1	1			Majid Khan	18/07/04	Bpl Unit
7	AO	8000-275-13500	1	1			Gopal Dubey	8/11/2006	HQ
8	DSP	8000-275-13500	9	7	2		S K Shukla	25/10/04	Bpl Unit
							P.K.Shukla	7/10/2005	Jbp Unit
							Awnish Bansal	16/8/05	Jbp Unit
							Arun Kumar Jain	10/12/2007	Ind Unit
							D.S.Markam	20/01/2007	HQ
							Sushil Ranjan Shing	29/1/07	Rewa
							S.S.Thakur	7/3/2007	HQ
							Dilip Kumar Soni	27/8/07	Ind Unit
9	DPO	6500-200-10500	1		1				
10	ADPO	5500-175-9000	4	3	1		Ram Babu Chaturvedi	24/7/07	Gwl Unit
							OP Korikon	5/7/2004	Jbp Unit
							AK Swarnkar	22/08/2003	Ind Unit

11	INSP	6500-10500	19	19			Narendra Tiwari	14/05/2001	Bpl Unit
							Pradip Sharma	24/8/2006	Gwi Unit
							D D Pagwar	27/07/2005	J bp Unit
							MK Chaturvedi	06/10/1997	Gwl Unit
							Abid Ali Aamir	05/01/2004	Ind Unit
							N.K. Jain	8/7/2006	Ind Unit
							S.S. Gehlot	2/6/2006	Bpl Unit
							Jujhar singh Pawar	24/12/2007	HQ
							Jamuna Parasad Maurya	15/7/200	Bpl Unit
							Kewal Chand Mandwi	2/8/2006	Jbp Unit
							Sewaram Thakur	10/8/2006	Jbp Unit
							S.L. Chandrol	30/4/07	Jbp Unit
							K.V. Singh	5/5/2007	Jbp Unit
							U.S.Tiwari	3/5/2007	HQ
							Rajesh Singh Baghel	30.4.07	Ind Unit
							Rajendr Nath Dubey	16/7/07	Bpl Unit
							Ashok Bhardwaj	8/8/2007	Bpl Unit
H.S.Tiwari	14/12/07	Bpl Unit							
Shalig Ram Singh	27/6/2007	Bpl Unit							
12	Si	5500-9000	12	7	5		Anvar Khan	19/06/2003	HQ
							RN Tiwari	07/11/1994	Jbp Unit
							GS Parihar	06/09/2004	Jbp Unit
							Ajay Sharma	29/08/2003	Gwl Unit
							PR Dohare	13/12/2002	Rwa Unit
							Ajay Dubey	4/8/2006	HQ
							Sharif Khan	11/01/2000	HQ
13	ASI	4000-100-6000	2	3		1	D L Panday	14/09/2005	Jbp Unit
							Bhaiya Lal Shingh	26/7/2007	HQ
							Badan Shingh	26/7/2007	HQ

14	HC	3500-5200	19	17	2	Ram Manohar Mishra	09/04/1998	JBPUnt
						Smt Ranjana Parashar	30/06/2004	HQ
						Ramesh Napit	01/12/1989	HQ
						RC Sharma	13/01/2003	HQ
						SB Ojha	15/05/1987	HQ
						Baikunth Prasad	12/06/1978	Bpl Unit
						RK Yadav	22/11/1981	Ind Unit
						Anoop Singh Panwar	09/06/1997	Ind Unit
						BR Gorkhede	26/07/1999	Ind Unit
						KS Singh	24/07/1993	Gwl Unit
						Avdhesh Kumar	17/11/1997	Gwl Unit
						HL Vaishya	22/05/1978	Rwa Unit
						RaghuNandan Shroti	4/8/2006	HQ
						Ram Sharan Sharma	3/11/2006	Bpl Unit
						KL Mehra	18/7/07	HQ
Abhi Lakh Singh	15/10/07	Ind Unit						
RK Shukla	18/03/1977							
15	Const. +Const Orderl y 34+38- 45+29	3050-4590	72	74	2	SS Chouke	02/03/1991	HQ
						OP Gurung	16/11/1995	HQ
						Om Bahadur	22/07/1983	HQ
						nivas Mishra	19/07/1987	HQ
						Ramanand Mishra	29/06/1982	HQHq
						Dal Bahadur	08/05/1997	HQ
						Satya Narayan Yadao	22/07/1996	HQ
						Kripa Shankar Singh	17/03/2003	HQ
						Noor Mohammad	28/04/1983	Bpl Unit
						Madan Murari Shukla	09/07/1996	Bpl Unit

						Mehboob Khan	19/06/1994	Bpl Unit
						Shivcharan Pandey	07/06/2000	HQ
						Vikram Prasad	22/04/2002	HQ
						RL Tripathi	19/02/1983	Bpl Unit
						PK Mathur	24/06/2003	HQ
						Radhelal Patel	01/05/1986	Jbp Unit
						Uttam Chand Pathak	01/05/1989	Jbp Unit
						Sitaram Ahirwar	03/12/1983	Jbp Unit
						Durga Prasad Chanpuria	07/07/1978	Jbp Unit
						Shusil Kumar	28/11/1981	Jbp Unit
						Arvind Tiwari	24/10/1996	Jbp Unit
						Kailash Chand Dubey	24/07/1978	Ind Unit
						Man Singh	28/07/1996	Gwl Unit
						Rameshwar Dayal	15/07/1996	Gwl Unit
						Jham Lal	12/06/1996	Gwl Unit
						Parmanand Shukla	19/10/1983	J bp Unit
						CS Prashad	14/05/1992	Rwa Unit
						MMTiwari	22/04/1992	Rwa Unit
						Ram Bahadur	02/05/1996	J bp Unit
						Bhagwat Prasad	21/05/1996	Rwa Unit
						D ipak Maratha	1/2/7/2006	Hq
						Bharat Singh	19/04/2005	H Q
						Ghanshyam Tripathi	'03/06/1997	Rwa Unit
						Sunita Vist	27/07/2006	HQ
						Harish Verma	29/07/2006	Ind Unit
						Barkatulah Khan	12/3/2007	HQ
						Awadesh Sharma	10/7/2007	HQ
						Smt Namita Singh Chauhan	12/7/2007	HQ
						Shailesh Singh	22/5/2007	Gwl Unit

Smt Asha Dubey	24/7/2007	HQ
kailash Bathare	23/7/2007	HQ
T.P.Singh	27/7/2007	
Ahsan Kureshi	30/7/2007	
M.L. Khan	6/8/2007	HQ
Ran Bahadur	7/5/1980	HQ
Bhupendra Kumar	7/10/1994	Bpl Unit
Kamleshwar Prasad	27/03/1978	HQ
Gajendra Prasad	19/06/1978	HQ
Balmik Sananse	5/11/1978	HQ
Govind Jaysawal	30/09/1982	HQ
Dev Bahadur	06/02/1981	HQ
Vishnu Bahadur	01/04/1977	HQ
Ashok Kale	16/12/1985	Bpl Unit
Khadak Bahadur	19/03/1986	HQ
RV Tiwari	05/06/1978	Bpl Unit
Gir Bahadur	21/11/1981	Bpl Unit
Him Bahadur	21/03/1977	Bpl Unit
HR Shinde	23/04/1977	Bpl Unit
S was	8/3/1978	Bpl Unit
Girdhari Lal	10/11/1980	Bpl Unit
Laxmi Narayan	05/06/1978	Bpl Unit
Ramcharit Tiwari	08/11/2002	HQ
Anup Kumar	21/-2/2000	HQ
Rakesh Dwivedi	20/10/1987	Bpl Unit
vijay kumar jadhaw	23/08/89	Ind Unit
RM Patel	16/10/1982	Jbp Unit
RC Morya	18/03/1980	Jbp Unit
Kailash Soni	20/06/1978	Ind Unit
Raja Ramnath	08/08/1978	Ind Unit



23	Accountant	4000-100-6000	1	1			Lata Shewre	24/02/1989	HQ
24	S I-M	4000-100-6000	2	4		2	K.L.Chandel	28/7/2007	HQ
							R P Tiwari	06/11/2002	HQ
							B.S Moriya	30/05/2006	HQ
							O.P.Bagora	29/09/2007	Ind Unit
25	ASI-M	3050-4590	14	12	2		V N Mehato	12/03/1987	HQ
							Abdul Naim Khan	20/07/1992	HQ
							Mehfuj Khan	23/09/1991	HQ
							M L Soni	31/03/1987	HQ
							Saroj Bhargao	22/06/1989	HQ
							Manorama Verma	18/11/1991	HQ
							R K Morandani	28/06/1989	HQ
							Anil Nigam	04/08/1994	HQ
							Dilip Jain	22/04/1989	HQ
							Ram Prakash	23/02/1982	Gwl Unit
							S K Panday	11/06/1992	Rwa Unit
Viresh Kumar Saha	27/07/2006	J bp Unit							
##	Total		191	178	20	6			

बिन्दु क्रमांक 11

नियंत्रक अधिकारी-0117 मांग संख्या-01 सा0प्र0विभाग-01 डी0डी0ओ कोड-0510117009		मासिक व्यय पत्रक वित्तीय वर्ष 2007-2008, मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, व्यय पत्रक माह दिसम्बर-2007, 4544-लघुशीर्ष-101 सी0आई0डी0 इकोनामिक आफन्सेज आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता					
विस्तृत शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट 2007-2008	दस प्रतिशत कटौती	कुल बजट स्वीकृत अनुमोदित 2007-08	माह 12/07 का व्यय	गत माह तक हुआ कुल व्यय 11/07	माहों के अन्त में हुआ कुल व्यय	बजट की शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
01-वेतन भत्ते आदि							
001-अधिकारियों का वेतन	18000000		18000000	1242337	11047123	12289460	5710540
027-मंहगाई वेतन	9000000		9000000	555659	4691956	5247615	3752385
003-मंहगाई भत्ता	5400000		5400000	606948	4351357	4958305	441695
006- मकान किराया भत्ता	800000		800000	61520	424686	486206	313794
008-अन्य भत्ते	1600000		1600000	278077	825885	1103962	496038
009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	450000		450000		368010	368010	81990
010-अवकाश यात्रा सुविधा	50000		50000		50000	50000	0
012-घटाइये त्योंहार अग्रिम					.100	.100	
016-अनाज अग्रिम	100000		100000		26000	26000	74000
017-घटाइये वापसियों अनाज अग्रिम	.100000		.100000	.2600	.19220	.21820	.78180
018-चिकित्सा अग्रिम	500000		500000			0	500000
019-घटाइये वापसियों चिकित्सा अग्रिम	.500000		.500000			0	.500000
<b>योग उद्देश्य-11 मतदेय</b>	<b>35300000</b>		<b>35300000</b>	<b>2741941</b>	<b>21765697</b>	<b>24507638</b>	<b>10792362</b>
<b>12-मजदूरी</b>	<b>110000</b>		<b>110000</b>	<b>6426</b>	<b>48134</b>	<b>54560</b>	<b>55440</b>
21-यात्रा भत्ता							
001-यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	750000		750000	10775	411459	422234	327766
002-यात्रा भत्ता स्थानान्तरण पर	90000		90000		10071	10071	79929
003-यात्राभत्ता प्रशिक्षण पर	50000		50000		4467	4467	45533
<b>योग उद्देश्य-21 मतदेय</b>	<b>890000</b>		<b>890000</b>	<b>10775</b>	<b>425997</b>	<b>436772</b>	<b>453228</b>
22-कार्यालय व्यय							
001-डाक एवं तार व्यय	50000		45000				45000
002-दूरभाष व्यय	700000		630000	7267	262322	269589	360411
003-फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	700000		630000	4948	354009	358957	271043
004-पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें	100000		90000	35253	41447	76700	13300



005-बिजली एवं जल प्रभार	550000		495000	12398	316659	329057	165943
007-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	230000		207000	30132	175315	205447	1553
008-अन्य आकस्मिक व्यय	75000		68000	3232	55843	59075	8925
009-पेट्रोल तेल आदि	1200000		1080000	81758	653308	735066	344934
011-किराया महसूल और कर	700000		630000	54881	322004	376885	253115
<b>योग उद्देश्य-22 मतदेय</b>	<b>4305000</b>		<b>3875000</b>	<b>229869</b>	<b>2180907</b>	<b>2410776</b>	<b>1464224</b>
<b>23- वाहनों का क्रय</b>	<b>450000</b>		<b>450000</b>	<b>450000</b>		<b>450000</b>	<b>0</b>
24-परीक्षा एवं प्रशिक्षण							
002-प्रशिक्षण	100000		90000		44000	44000	46000
<b>योग उद्देश्य-24 मतदेय</b>	<b>100000</b>		<b>90000</b>		<b>44000</b>	<b>44000</b>	<b>46000</b>
<b>26- सेमीनार,कार्यशाला सम्मेलन</b>	<b>50000</b>		<b>45000</b>	<b>1650</b>		<b>1650</b>	<b>43350</b>
31-व्यवसायिक एवं विशेषसेवाओं हेतु अदायगियाँ							
001-परीक्षक	200000		200000	3000			200000
006-सफाई व्यवस्था	15000		15000	1191	12865	14056	944
007- परिवहन व्यवस्था	5000		5000		4867	4867	133
<b>योग उद्देश्य-31 मतदेय</b>	<b>220000</b>		<b>220000</b>	<b>4191</b>	<b>17732</b>	<b>21923</b>	<b>198077</b>
33-अनुरक्षण कार्य							
001-स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण	50000		45000				45000
002- मशीन एवं उपकरण का अनु	225000		203000		121146	121146	81854
003- वाहन अनुरक्षण	370000		333000		332902	332902	98
<b>योग उद्देश्य-33 मतदेय</b>	<b>645000</b>		<b>581000</b>		<b>454048</b>	<b>454048</b>	<b>126952</b>
34- सामग्री एवं पूर्तियाँ							
004- राशन का मूल्य/ भोजन व्यय	5000		5000				5000
006- खपने वाला सामान	50000		45000		13932	13932	31068
<b>योग उद्देश्य-34 मतदेय</b>	<b>55000</b>		<b>50000</b>		<b>13932</b>	<b>13932</b>	<b>36068</b>
<b>36-कपड़े बिस्तर तथा टेंट्स</b>	<b>100000</b>		<b>90000</b>				<b>90000</b>
<b>51- अन्य प्रभार</b>	<b>10000</b>		<b>9000</b>		<b>4400</b>	<b>4400</b>	<b>4600</b>
<b>53- डिक्री धन का भुगतान भारत</b>	<b>150000</b>		<b>150000</b>				<b>150000</b>
<b>56-गोपनीय सेवा व्यय</b>	<b>400000</b>		<b>400000</b>	<b>70000</b>	<b>290000</b>	<b>360000</b>	<b>40000</b>
<b>योग योजना-4544 मतदेय</b>	<b>42785000</b>		<b>42260000</b>	<b>3514852</b>	<b>25244847</b>	<b>28759699</b>	<b>13500301</b>

(8808)सूचना प्रौद्योगिक से संबंधित कार्य							
22-कार्यालय व्यय							
003-फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	50000		45000	7498	15634	23132	21868
<b>योग उद्देश्य-22 मतदेय</b>	<b>50000</b>		<b>45000</b>	<b>7498</b>	<b>15634</b>	<b>23132</b>	<b>21868</b>
51-अन्य प्रभार	45000		41000		40941	40941	59
<b>योग योजना(8808)</b>	<b>95000</b>		<b>86000</b>	<b>7498</b>	<b>56575</b>	<b>64073</b>	<b>21927</b>
योग लघु शीर्ष(101)	42880000		42346000	3522350	25301422	28823772	13522228
योग लेखा शीर्ष(2055)	42880000		42346000	3522350	25301422	28823772	13522228
योग एक-राजस्व अनुभाग	42880000		42346000	3522350	25301422	28823772	13522228

### बिन्दु क्रमांक-12-13-14-15

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 2409/232/77/बी-3/2, दिनांक 31 मई, 1977 से स्थापित किया गया है। इस अधिसूचना के अंतर्गत राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को राज्य स्तरीय पुलिस थाना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (घ) के अंतर्गत घोषित किया गया है।

राज्य शासन के राजपत्र अधिसूचना वर्ष 1977 से ब्यूरो की कार्यपद्धति को प्रकाशित किया गया है। इसके अनुरूप ब्यूरो कार्य करता है।

ब्यूरो में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:-

1. आपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान एवं विवेचना।
2. आपराधिक प्रकरण के पूर्व दर्ज प्राथमिक जाँच एवं इसकी विवेचना, तथा
3. शिकायतें एवं सूत्र सूचनाओं पर कान्फीडेन्सियल सत्यापन, जो इस आशय से किया जाता है कि इस पर अपराध बनता है या नहीं।

ब्यूरो के आपराधिक अनुसंधान एवं विवेचना का आधार भारतीय दण्ड विधान 1973 की धारा 154 से 173 के अंतर्गत प्रदत्त होती है। आपराधिक विवेचना का प्रथम सूचना पत्र (धारा 154 द.प्र.सं.) में पंजीबद्ध होने के उपरांत उसकी सूचना संबंधित सक्षम न्यायिक दण्डाधिकारी को दी जाती है। तथा धारा 156 द.प्र.सं. के अंतर्गत आपराधिक विवेचना के समस्त कार्य इस सक्षम न्यायालय के अधीन होता है। चूंकि यह सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग है अतः आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत दी जाने वाली रिपोर्ट तथा विवेचना के समस्त दस्तावेज संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी के क्षेत्राधिकारी में आते हैं एवं न्यायालयों में पूर्व से ही आम जनता को जानकारी प्राप्त करने के विनिर्दिष्ट नियम बनाये गये हैं। अतः इन समस्त दस्तावेजों को सक्षम न्यायालय से आम जनता को अथवा किसी अन्य को उपलब्ध करा सकते हैं अथवा दिये जाने के निर्देश दे सकते हैं। प्रथम सूचना पत्र

एक लिखित दस्तावेज होता है जिसकी प्रतिलिपि द.प्र.सं. की धारा 154 के अंतर्गत आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है। किसी अन्य व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो तो सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

अतः आपराधिक अनुसंधान से संबंधी कोई दस्तावेज ब्यूरो वैधानिक रूप से उपलब्ध नहीं करा सकता है, जो मात्र सक्षम न्यायालय ही दे सकता है।

2— प्राथमिक जाँच एक विधिसंगत प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में लोकसेवक के उपर सामान्यतः दर्ज की जाती है जिसमें यह ज्ञात करना होता है कि अपराध घटित हुआ है या नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1) स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध भजनलाल (1992 क्रिमिनल ला. जनरल पेज 527)।(2) सिराजुद्दीन विरुद्ध स्टेट ऑफ मद्रास (1971 क्रिमिनल लॉ. जनरल पेज 523), (3) स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश विरुद्ध भगवन्त किशोर जोशी (1964(1) क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 140), जिसमें प्राथमिक जाँच को उसी वैधानिक स्वरूप में बताया गया है, जो आपराधिक प्रकरण की विवेचना होती है। ब्यूरो द्वारा भी प्राथमिक जाँच के दर्ज होने की जानकारी तथा इनके निष्कर्ष की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग तथा संबंधित विभाग को प्रदान की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के फलस्वरूप इस प्रक्रिया के अंतर्गत भी ब्यूरो अथवा किसी अन्य जाँच एजेन्सी को द.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। अतः इस जाँच एवं जांच दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ आदि ब्यूरो द्वारा प्रदाय नहीं की जा सकती है परन्तु संबंधित विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग जानकारी प्रदाय करने के लिए स्वतंत्र है।

3— शिकायत सत्यापन एवं सूत्र सूचनाओं का सत्यापन—सामान्यतः ब्यूरो द्वारा कुछ शिकायतों जो इस स्तर की हैं, जिसमें कि किसी बड़े आर्थिक अपराध एवं भ्रष्टाचार का पता लेना है जिस पर गोपनीय सत्यापन करते हैं जो कि एक तरह से एक कान्फीडेंन्सियल कार्य है।

परन्तु इस पर यदि कोई यह जानकारी चाहता है कि क्या शिकायत की गई है एवं ब्यूरो द्वारा उसी शिकायत पर जाँच करने का निर्णय लिया गया है अथवा नहीं, यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि जांच का निर्णय लिया गया है तो जाँच पूरी होने के उपरांत जाँच के निष्कर्ष की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। जब तक जाँच चल रही है तब तक इस जांच के बारे में यही कहा जा सकता है कि जांच जारी है।

ब्यूरो की सामान्य प्रशासन की जानकारी सब उसी प्रकार से उपलब्ध कराई जा सकती है जिस तरह से अन्य विभाग की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी एवं इसमें कोई अलग से गोपनीयता की आवश्यकता नहीं है।

ब्यूरो के अपराधों की संख्या/अपराधियों की संख्याकीय संबंधी जानकारी, न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या आदि उपलब्ध कराई जा सकती है परन्तु यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जानकारी वह उपलब्ध कराई जा जायेगी जो सामान्य रूप से उपलब्ध है। इस प्रकार की जानकारी ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत, कब दर्ज हुई एवं किसके द्वारा।

## बिन्दु- 16

सूचना अधिकार नियम-2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल के निम्नलिखित अधिकारियों के समक्ष दर्शाये अनुसार पदाधिकारी नियुक्त किये गए हैं:-

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1- अपीलीय अधिकारी          | पुलिस महानिरीक्षक         |
| 2- लोक सूचना अधिकारी       | उप पुलिस महानिरीक्षक      |
| 3- सहायक लोक सूचना अधिकारी | उप संचालक अभियोजन         |
| 4- नोडल अधिकारी            | उप पुलिस अधीक्षक(प्रशासन) |

## बिन्दु-17

निरंक